



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-37/2022-23

सरकार

बनाम्

विजय कुमार पंडित

—: आदेश :-

क्र. 29/9/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या-10/2022 दिनांक-23.04.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-2185/अप0शा0 दिनांक-20.06.2022 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक विजय कुमार पंडित, पिता-त्रिलोचन पंडित, सा0-मचखार, पो0-पसई, थाना-पोड़ैयाहाट, जिला- गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर लदे बालू के विरुद्ध

धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी विजय कुमार पंडित को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण-पृच्छा दाखिल किया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं है, को बिना बालू का खाली ट्रैक्टर पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा गलत आरोप लगाकर विपक्षी पर उक्त मुकदमा किया गया है। विपक्षी राजसात करने के लिए तैयार है लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है और न ही भविष्य में इस तरह का कोई कार्य किया जायेगा। इसलिए राजसात की प्रक्रिया को समाप्त किया जाय। विपक्षी बंध-पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। पोडैयाहाट थाना काण्ड संख्या-10/2022 दिनांक-23.04.2022, भा0द0वि0 की धारा-379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पोडैयाहाट थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान

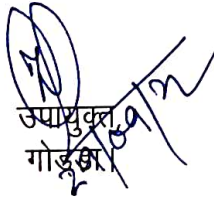
नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 8000.00 (आठ हजार) रू० और चूँकि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन में अंकित है कि पूर्व में एक बार वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17Q-0661 संलिप्त पाया गया है। इसलिए अतिरिक्त 50000.00 (पचास हजार) रू० जुर्माना राशि भी लगाया जाता है। अतः कुल 58000.00 (अन्ठावन हजार) रू० जुर्माना राशि एवं एक लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

570970-117
28.10.22



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-37/2022-23

सरकार

बनाम्

विजय कुमार पंडित

—: आदेश :—

दिनांक 16/11/22

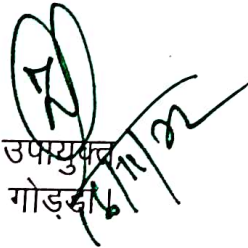
अभिलेख उपस्थापित किया गया।

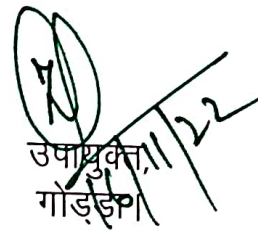
मामला पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या-10/2022 दिनांक-23.04.2022 से संबंधित है।

विपक्षी विजय कुमार पंडित ने जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17Q-0661, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने के लिए जुर्माना की राशि 58000.00 (अन्ठावन हजार) रु० का रसीद की प्रति, एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र के रूप में वाहन-JH17P-2290 से संबंधित कागजात, शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है।

अतः दाखिल जुर्माना राशि एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र एवं शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उसमे लदे बालू को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

विमुक्ति हेतु आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

578910-134
18.11.22